तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	30-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त डिक्री जारी की गई। शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या – 038/2019 अनवान बलजिन्द्रसिंह बनाम मघरसिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 038/2019

1 बलजिन्द्र सिंह पुत्र मघर सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 मानूका तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 मघर सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 मानूका तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 सर्वजीत कौर पुत्री मघर सिंह पत्नी नरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ी, सिरसा तहसील व जिला सिरसा।

3 मनदीप कौर पुत्री मघर सिंह पत्नी संदीप सिंह जाति जटसिख निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेन्द्र कुमार पारिक अधिवक्ता वादी
2. श्री विनोद कुमार पारिक अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 30.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी एवं प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 वादी की हकीकी बहनें हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 22 एम.जे.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/50 पत्थर नम्बर 88/193 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 9 ता 12, 19, पत्थर नम्बर 91/194 मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 11, 12, 21, 22, पत्थर नम्बर 90/194 मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 15, 16, 25, पत्थर नम्बर 88/195 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 11 ता 14, 17 ता 20 कुल 5.060 हैक्टर मय गैर मुमकिन कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। इसके अलावा चक 22 एम.जे.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/56 के पत्थर नम्बर 92/193 मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 20 ता 24, पत्थर नम्बर 92/194 मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, पत्थर नम्बर 91/194 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 5 ता 9, 13 ता 15 17 ता 20, 23, पत्थर नम्बर 91/195 के मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 15 ता 18, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 92/195 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 11, 20, 21 कल 8.096 हैक्टर में से 1/2 में से 1/3 हिस्सा यानि 1.349 हैक्टर निहित है। इसके अलावा इसी चक के संयुक्त खाता संख्या 38/34 में तादादी 39.215 हैक्टर में से .024 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। इसके अलावा चक 23 एम.जे.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 16/15 में तादादी 4.048 हैक्टर में से 0.674 हैक्टर हिस्सा दर्ज ...राजात माल है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं तथा वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि के अलावा उनकी अन्य चकों में कृषि भूमि व दीगर अचल सम्पत्ति ..., उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. श्री विचित्र सिंह से प्राप्त शुद्धा है। वादी

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

व प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त हिन्दू परिवार की समस्त सम्पत्तियों का अर्सा पूर्व बंटवारा हो गया था तथा इस बंटवारा जो वादी एवं प्रतिवादीगण ने सदैव स्वीकार एवं अंगीकार किया है। उक्त घरा घरू बंटवारा में वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खाता की कृषि भूमि चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 58/56 की 1.349 हैक्टर कृषि भूमि व चक 23 एम.जे. डी. के खाता संख्या 16/15 की 0.674 हैक्टर कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादी के हकीकी बहनें है, ने उक्त समस्त सम्पतियों में प्राप्त होने वाले अपने हक व हिस्सा का परित्याग मुताबिक घराघरू बंटवारा मौखिक रूप से ही कर दिया है। इस प्रकार मुताबिक घराघरू बंटवारा वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खाता की कृषि भूमि चक 22 एम.जे.डी. की 1.349 हैक्टर कृषि भमि व चक 23 एम.जे.डी. की 0.674 हैक्टर वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है तथा इसी अनुसार वादी उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 22 एम.जे.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/50 पत्थर नम्बर 88/193 मरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 9 ता 12, 19 पत्थर नम्बर 91/194 मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 11, 12, 21, 22 पत्थर नम्बर 90/194 मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 15, 16, 25, पत्थर नम्बर पत्थर नम्बर 88/195 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 11 ता 14, 17 ता 20 कुल 5.060 हैक्टर मय गैर मुमकिन कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसके अलावा चक 22 एम.जे.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/56 के पत्थर नम्बर 92/193 मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 20 ता 24, पत्थर नम्बर 92/194 मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, पत्थर नम्बर 91/194 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 5 ता 9, 13 ता 15, 17 ता 20, 23, पत्थर नम्बर 91/195 के मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 15 ता 18, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 92/195 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 11, 20, 21 कुल 8.0960 हैक्टर में से 1/2 में से 1/3 हिस्सा यानि 1.349 हैक्टर है। इसके अलावा इसी चक के संयुक्त खाता संख्या 38/34 में तादादी 39.215 हैक्टर में से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। इसके अलावा चक 23 एम.जे.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 16/15 में तादादी 4.048 हैक्टर में से 0.674 हैक्टर हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादी अपने कब्जा व बंटवारा अनुसार चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 58/56 की 1.349 हैक्टर कृषि भूमि व चक 23 एम.जे.डी. के खाता संख्या 16/15 की 0.674 हैक्टर कृषि भूमि यानि कुल 2.023 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्तियों के सम्बंध में परिवार के मध्य लागू उक्त पारिवारिक व्यवस्था को हमेशा स्वीकार एवं अंगीकार किया है लेकिन गत एक माह से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 पर अपना अनुचित दबाव बनाकर वादी को पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त उक्त भूमि से वंचित करने की धमकी दी जा रही है तथा कृषि भूमि के भावों में बढ़ौतरी होने से लालचवश प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित अपने नाम की भूमि को दीगर व्यक्तियों को बैय व मुन्तकिल करने की फिराक में है। वादी ने इस पारिवारिक समझौता को सदैव स्वीकार एवं अंगीकार किया है तथा इस पारिवारिक समझौता के अनुसरण में आचरण व व्यवहार किया है। यदि प्रतिवादीगण उक्त पारिवारिक समझौता के विपरीत प्रश्नगत भूमि जो मुझ वादी को बंटवारा में प्राप्त हुई है, को बैय व मुन्तकिल कर देते हैं तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी।

वादी नें प्रतिवादीगण से अर्सा एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वे पारिवारिक समझौता में वादी को प्राप्त कृषि भूमि चक 22 एम.जे.डी. के खाता 58/56 की 1.349 हैक्टर

लगातार 3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि व चक 23 एम.जे.डी. के खाता संख्या 16/15 की 0.674 हैक्टर कृषि भूमि वादी के नाम करवा देवे तथा उक्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करे तो वे ऐसा मानने से इन्कार हो गये। यही बिनाय मुखासमत है।

वाद पत्र वादी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमायी जावे कि वादी चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 58/56 की 1.349 हैक्टर कृषि भूमि व चक 23 एम.जे.डी. के खाता संख्या 16/15 की 0.674 हैक्टर कृषि भूमि यानि कुल 2.023 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ हो तो अता फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 03.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तरदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम पक्ष/वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चक 22 एम.जे.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/50 पत्थर नम्बर 88/193 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 9 ता 12, 19, पत्थर नम्बर 91/194 मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 11, 12, 21, 22, पत्थर नम्बर 90/194 मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 15, 16, 25, पत्थर नम्बर 88/195 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 11 ता 14, 17 ता 20 कुल 5.060 हैक्टर मय गैर मुमकिन तथा चक 22 एम.जे.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/56 के पत्थर नम्बर 92/193 मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 20 ता 24, पत्थर नम्बर 92/194 मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, पत्थर नम्बर 91/194 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 5 ता 9, 13 ता 15, 17 ता 20, 23, पत्थर नम्बर 91/195 के मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 15 ता 18, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 92/195 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 11, 20, 21 कल 8.096 हैक्टर में से 1/2 में से 1/3 हिस्सा यानि 1.349 हैक्टर एवं इसके अलावा इसी चक के संयुक्त खाता संख्या 38/34 में तादादी 39.215 हैक्टर में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि एवं चक 23 एम.जे.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 16/15 में तादादी 4.048 हैक्टर में से 0.674 हैक्टर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व. श्री विचित्र सिंह से प्राप्त कृषि भूमि है जो पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहदायिक होने के कारण जन्मतः ही हक व हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में घरू बंटवारा हो चुका था लेकिन राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं होने के कारण विवाद रहने लगा। तब वादी द्वारा मुताबिक घरू बंटवारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि बाबत वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी की हकीकी बहनें हैं, का लोक अदालत की

लगातार 4

सहायक कलक्टर उपखण्डाधिकारी

भावना से प्रेरित होकर व परिवार के मौजिज व्यक्तियों की रायशुमारी से राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादी की हकीकी बहनें है, ने अपना उक्त पैतृक सम्पत्ति में मिलने वाले हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उक्त सम्पति में अपना कोई भी हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपने अपने हक का परित्याग किये जाने के पश्चात् वादी को चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 52/50 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 5.060 हैक्टर में से 3.795 हैक्टर व खाता संख्या 58/56 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.349 हैक्टर में से 1.011 हैक्टर व खाता संख्या 38/54 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.024 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर व चक 23 एम.जे.डी. के खाता संख्या 16/15 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.674 हैक्टर में 0.505 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित करवाने तथा इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने हेतु सहमत हैं। लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में

लगातार 5

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 मघरसिंह के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 52/50 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 5.060 हैक्टर में से 3.795 हैक्टर व खाता संख्या 58/56 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.349 हैक्टर में से 1.011 हैक्टर व खाता संख्या 38/54 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.024 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर व चक 23 एम.जे.डी. के खाता संख्या 16/15 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.674 हैक्टर में 0.505 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार है। जो उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 मघरसिंह के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 52/50 में दर्ज 5.060 हैक्टर में से 3.795 हैक्टर व खाता संख्या 58/56 में में दर्ज 1.349 हैक्टर में से 1.011 हैक्टर व खाता संख्या 38/54 में दर्ज 2.024 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर व चक 23 एम.जे.डी. के खाता संख्या 16/15 में दर्ज 0.674 हैक्टर में 0.505 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मघरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर उसके पुत्र वादी बलजिन्द्रसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 30.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 038/2019

1 बलजिन्द्र सिंह पुत्र मघर सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 मानूका तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 मघर सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 मानूका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 सर्वजीत कौर पुत्री मघर सिंह पत्नी नरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ी, सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
3 मनदीप कौर पुत्री मघर सिंह पत्नी संदीप सिंह जाति जटसिख निवासी गंगागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 30.08.2019

वादी की और से श्री राजेन्द्र पारिक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री विनोद कुमार पारिक अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 30.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 मघरसिंह के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 52/50 में दर्ज 5.060 हैक्टर में से 3.795 हैक्टर व खाता संख्या 58/56 में में दर्ज 1.349 हैक्टर में से 1.011 हैक्टर व खाता संख्या 38/54 में दर्ज 2.024 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर व चक 23 एम.जे.डी. के खाता संख्या 16/15 में दर्ज 0.674 हैक्टर में 0.505 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मघरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर उसके पुत्र वादी बलजिन्द्रसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 18:14:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: